बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–2/अ0प्र0–2–50/2014   977   /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–14/13 दिनांक 29.05.2013 धारा–13(2) सह–पठित धारा 13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0–1988 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2596 सह–पठित ज्ञापांक–2597 दिनांक 06.08.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(i)(ग) के तहत निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों के लिये श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर संकल्प ज्ञापांक 2598 अनु0 दिनांक 06.08.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या– 328–सह–पठित ज्ञापांक 329 दिनांक 15.01.2020 द्वारा इनके शत्–प्रतिशत पेंशन एवं उपादान की कटौती का दंड अधिरोपित की गई है।

3. श्री शर्मा को C.W.J.C. No. 13515/2016 से उद्भूत L.P.A. No. 1414/2017 में दिनांक 23.11.2017 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या–3723–सह–पठित ज्ञापांक 3724 दिनांक 29.12.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार श्री शर्मा दिनांक 06.08.2014 से 28.12.2017 तक निलंबित रहे।

4. श्री शर्मा द्वारा अपने निलंबन अवधि के विनियमन हेतु विभाग को आवेदन दिनांक 28.01.2020 समर्पित कर उक्त अवधि को नियमित सेवा मानते हुए वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत् मामले में पाया गया कि चूँकि श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में शास्ति अधिरोपित की गयी है। अतः उक्त निलंबन अवधि को नियमित सेवा नहीं माना जा सकता है तथा संपूर्ण वेतनादि का भुगतान नियमसंगत नहीं है।

5. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री शर्मा के निलंबन अवधि दिनांक 06.08.2014 से दिनांक 28.12.2017 में अनुमान्य जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा, के रूप में विनियमित किया जाता है।

26/5/2020
(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–50/2014   977   /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–50/2014 977 /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर/पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :– आदर्श बिहार कॉलोनी, रूकनपुरा, पोस्ट–बी0भी0 कॉलेज, पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–50/2014 977 /पटना, दिनांक :– 26.5.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/5/2020

अपर सचिव